Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. B.R. Chhipa
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 116/2018

श्री चुन्नीलाल गहलोत,
29/669, गहलोतो की डूंगरी,
मेयो कॉलेज के पीछे,
अजमेर (राज.) **अपीलार्थी**

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर **प्रत्यर्थी**

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 24.04.2018
अपील में निर्णय की दिनांक 18.05.2018

निर्णय

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 06.01.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 13.11.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 06.01.2018) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी व आवेदन शुल्क के रूप में रू. 10/– (अक्षरे रूपये दस) का भारतीय पोस्टल आर्डर कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को संबोधित/संदाय कर प्रस्तुत किया गया। सूचना का अधिकार नियम 2012 के प्रावधान्तर्गत आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत भारतीय पोस्टल आर्डर लेखाधिकारी (वित्त नियंत्रक) को संबोधित/संदाय कर प्रस्तुत नहीं किया गया होने के कारण कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 16 दिनांक 15.01.2018 के द्वारा मूल आवेदन पत्र व भारतीय पोस्टल आर्डर आवेदक को लौटाया गया व संलग्न राजुवास द्वारा शुल्क संदाय की रीतियों के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 20.06.2014 की प्रति प्रेषित की गई। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित पत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमशः

श्री चुन्नीलाल गहलोत,
(वरिष्ठ नागरिक)
29/669, गहलोतो की डूंगरी,
मेयो कॉलेज के पीछे,
अजमेर (राज.)

(2) प्र. 116/2018

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।
प्रसंगः–आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 06.01.2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रासंगिक आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क हेतु संलग्न किये गये भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं. **40F 759288** दिनांक 15.11.2017 राशि रू. 10/– का कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को संबोधित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के नियम 6 (क) अनुसार आवेदन शुल्क कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में शुल्क की राशि रू. 10/– नकद जमा करवायी जा सकती है अथवा नियम 6 (ख) अनुसार विश्वविद्यालय के ***वित्त नियंत्रक*** को संदेय मांग ड्राफ्ट (Demand Draft)/भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंकर चैक प्रेषित कर शुल्क भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा परिपत्र दिनांक 20.06.2014 जारी कर कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गये है जिसकी फोटो प्रति पत्र के सलंग्न प्रेषित की जा रही है।

तद्नुसार आप द्वारा प्रेषित मूल प्रार्थना पत्र मय उपरोक्तानुसार भारतीय पोस्टल ऑर्डर राशि रूपये 10/– पत्र के सलंग्न लौटाये जा रहे है। परिपत्र दिनांक 20.06.2014 में वर्णित विधिक प्रावधानों अनुसार आवेदन पत्र जो कि लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को सम्बोधित हो नियमानुसार शुल्क सहित भिजवाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

यदि उपरोक्त कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं है तो पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन–334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार (मूल आवेदन पत्र
एवं भारतीय पोस्टल आर्डर)

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 06.01.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर सूचना देने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ (अ–116/18)VCS/RAJUVAS/RTI/2018/146 दिनांक 07.05.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 18.05.2018 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत सुनवाई तारीख को अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एंव लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि सूचना का अधिकार नियम 2012 में शुल्क के संदाय की रीतियॉ उल्लेखित है जिसमें लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में शुल्क की राशि नकद जमा करवाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/भारतीय पोस्टल आर्डर संबंधित लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी को देय होने के स्पष्ट प्रावधान हैं, जबकि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.11.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 06.01.2018) के संलग्न आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत भारतीय पोस्टल आर्डर ~~को~~ कुलसचिव को संबोधित कर प्रस्तुत किया गया है जो कि सूचना का अधिकार नियम 2012 में शुल्क संदाय की रीतियों के संबंध में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.06.2014 जिसमें शुल्क संदाय की रीतियों व भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंकर चैक/डिमाण्ड वित्त

क्रमशः

अ- 116/2018

नियंत्रक राजुवास, बीकानेर के अलावा किसी अन्य को संबोधित होने की स्थिति में आवेदन पत्र मूल ही मय शुल्क वापिस लौटा दिया जाने का स्पष्ट उल्लेख है की ओर ध्यान आकर्षित किया गया व अपीलार्थी/आवेदक को प्रार्थना पत्र के क्रम में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया होना भी अवगत करवाते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबंधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा सूचना का अधिकार नियम 2012 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मूल आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क के रूप में लोक सूचना अधिकारी को संबोधित भारतीय पोस्टल आर्डर अपीलार्थी/आवेदक को वापिस लौटाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है व कुलसचिव एंव लोक सचूना अधिकारी द्वारा की गई कार्यावाही विधि सम्मत है। अतः उक्त तथ्यों व आधारो पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभय पक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(बी.आर. छीपा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर